

रबी विपणन वर्ष 2023 -24 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत संचालित गेहूँ क्रय केंद्रों पर गेहूँ परिवहन / लेबर हैंडलिंग तथा वारदाना परिवहन कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा की नियम ऐवम शर्तें |





**उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०**

**मुख्यालय: “यू सी एफ सदन” – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)**

***निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर.....................***

*निविदा के लिए पात्रता मानदंड*

1. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्रोपरायटर/फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि होना चाहिए|
2. आवेदक को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता एवं सामान कार्य अनुभव के सापेक्ष प्रार्थमिकता दी जाएगी, इस हेतु संघ द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा |
3. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य GST, PAN, एवं कम्पनी/फर्म/समिति पंजीकरण होना अनिवार्य है जिसकी फ़ोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा|
4. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य हैसियत प्रमाण पत्र जोकि कम से कम 10,00,000/- (रु० दस लाख मात्र) का होना अनिवार्य है, जोकि निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा|
5. आवेदक को किसी भी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए कभी भी डिबार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इस निविदा के लिए आवेदक प्रस्तावित कम से कम 05 वाहनों की संख्या, भार क्षमता एवं अन्य का शपथ पत्र संलग्न करना होगा |
7. आवेदक द्वारा दिए गए वाहनों की संख्या के सापेक्ष RTO सम्बन्धित समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण पत्रों को संलगन करना अनिवार्य होगा |
8. आवेदक संघ, एवं क्रय केंद्र पर तैनात किसी भी कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक या अन्य किसी पदासीन व्यक्ति का पारिवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा पाए जाने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य घोषित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रक्षित होगा जोकि सर्वमान्य होगा |
9. आवेदक निविदा तैयार करने और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, संघ किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
10. निविदा में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों के नामों में से कोई एक या एक से अधिक क्रय केंद्र आबंटित करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित होगा |

♣♣♣♣♣♣♣♣

Page No. 01

**निविदा जमा करने की प्रक्रिया**

1. इस निविदा के संबंध में पूर्ण रूप से भरा निविदा प्रपत्र,प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 को हाथों हाथ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा । ई-मेल आदि रूप से प्रेषित निविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे|
2. इच्छुक पक्ष सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी मूल निविदा प्रपत्र जमा करेंगे। फैक्स/ईमेल या निविदा की प्रति पर प्राप्त निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ निविदा शुल्क ***1,000/- {847.46+152.54} (GST सहित)***(अप्रतिदेय) होनी चाहिए | इस दस्तावेज़ का मुद्दा किसी भी तरह से संघ को निविदा प्रक्रिया के सभी या किसी हिस्से के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है । निविदा के बीच अनुबंध की किसी प्रक्रिया या किसी संविदात्मक दायित्व का विषय नहीं है|
4. फर्म/कंपनी/सोसाइटीआदि द्वारा निविदा हेतु आवेदन करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को निविदा पर हस्ताक्षर, जमा एवं अग्रिम कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा|
5. फर्म/कंपनी/सोसाइटीआदि द्वारा निविदा हेतु आवेदन करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को निविदा पर हस्ताक्षर, जमा एवं अग्रिम कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा|
6. इस निविदा के लिए आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता को निविदा पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र संलग्न करना होगा|
7. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमागत रूप से क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना है |
8. यदि इस निविदा के तहत संलग्न किए गए किसी भी दस्तावेज को किसी भी तरीके से संशोधित पाया जाता है, तो निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और निविदा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और आवेदक किसी भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
9. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ **गेहूँ परिवहन/ लेबर हैंडलिंग तथा वारदाना परिवहन कार्यों हेतु पृथक-पृथक धरोहर धनराशि रु० 25,000/-** केवल एफ० डी० आर० के रूप में ही स्वीकार्य होगी जोकि **“Uttarakhand State Cooperative Federation Limited, Dehradun”**के नाम बन्धक हो तकनीकी निविदा के साथ लिफाफे में संलग्न करना होगा | असफल निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशी निविदा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि के 30 दिवस पश्चात् ही वापस की जाएगी |

♣♣♣♣♣♣♣♣

Page No. 02

***निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर.....................***

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता द्वारा एक निविदा प्रपत्र पर अधिकत्तम 02 क्रय केन्द्रों हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा जिसका विवरण **संलग्नकI** पर भरा जाना होगा साथ ही तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे पर भी अंकित किया जाना होगा |
2. **निविदादाता,तकनीकी निविदा (पृष्ट सं० 01 से 13 तक) से सम्बंधित समस्त वांछित प्रपत्र/छायाप्रति और वित्तीय निविदा (पृष्ट सं० 14/15 )पृथक-पृथक लिफाफे में रख कर बंद करेंगे जिसके मुख्य भाग पर निविदादाता का नाम व पता तथा “तकनीकी निविदा 2023 -24 एवं वित्तीय निविदा 2023 -24 ” लिखा होना अनिवार्य होगा तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर जमा करना होगा |**
3. **निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म क्रय करने की रसीद जोकि रु० 1000/- मात्र की होगी निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी|**
4. निविदादाता को तकनीकी निविदा में **रु० 10.00** के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर में इस आशय का नोटरीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही इस विभाग में अथवा अन्य किसी विभाग में नहीं चल रही है, न ही प्रस्तावित है और न ही वह किसी विभाग में काली सूची में दर्ज है |
5. निविदादाता को तकनीकी निविदा में वाहनों के सम्बन्ध में माल ढोने वाले स्वयं/किराये पर लिए जाने वाले कम से कम 05 वाहन/वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना होगा |
6. निविदादाता को शर्त सं० 04 के अंतर्गत अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले ऐसे वाहनों का पूर्ण विवरण **रु०** 10.00 के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर लिखित स्वीकृति प्राप्त कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा |
7. निविदा यदि किसी फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि द्वारा भरी जाती है तो उसके निबंधन/पंजीकरण तथा साझेदारी फर्म हेतु Partnership Deed/Agreement की स्व प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा |
8. निविदादाता द्वारा आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22**(फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि के लिए अनिवार्य)**, GST पंजीकरण प्रमाण पत्र,PAN Card, AADHAR Card एवंबैंक विवरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा |
9. प्रत्येक निविदादाता को उक्त निविदा हेतु अपना कम से कम **रु०** 10,00,000/- का सक्षम अधिकारी से जारी हैसियत प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की तिथि से छ: माह पूर्व का न हो, की फ़ोटोप्रति संलग्न करना होगा |
10. निविदादाता द्वारा पूर्व में किये गए समान कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा|
11. फर्म/कंपनी/सोसाइटीआदि द्वारा निविदा हेतु आवेदन करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को निविदा पर हस्ताक्षर, जमा एवं अग्रिम कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा|
12. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमागत रूप से क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा |

Page No. 03

1. पूर्ण रूप से भरे गए निविदा प्रपत्र के साथ `100/- का स्टाम्प जोकिFirst Party में “उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून” एवं Second Party में निविदादाता के नाम से होगा, को तकनीकि निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा |
2. सफल निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि के अतिरिक्त **गेहूँ परिवहन /लेबर हैंडलिंग तथा वारदाना परिवहन कार्यों हेतु पृथक-पृथक** प्रतिभूति धनराशि के रूप में **रु०** 1,00,000/-(एक लाख मात्र) केवल एफ० डी० आर० के रूप में ही जमा करनी होगी जोकि **“Uttarakhand State Cooperative Federation Limited, Dehradun”** के नाम बन्धक होगी, यह भी उल्लेखनीय कि उक्त कार्य के निष्पादन के अंतर्गत यदि निविदादाता/ठेकेदारद्वारा किसी भी प्रकार उलंघन किया जाता है तो उक्त धरोहर एवं प्रतिभूति की राशी को जब्त कर लिया जायेगा|
3. यह निविदा रबी क्रय योजना वर्ष 2023-24 हेतु आमंत्रित है | गेहूँ क्रय केंद्र पर कार्य समाप्त होने अथवा क्रय केंद्र को बंद करने की दशा में लेबर लेबर हैंडलिंग एवं गेहूँ परिवहन कार्य का ठेका स्वत: हीसमाप्त माना जायेगा|
4. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत कर ली जाएगी उसे संघ द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत प्रतिभूति धनराशि जमा कर अनुबंध पत्र मे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा |
5. निविदा खोलने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का संसोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी | किसी भी समय डीजल आदि के दाम में वृद्धि होने पर संघ कर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा |
6. किसी भी सरकारी एवं संघ के कर्मचारी/अधिकारी एवं अवयस्क के नाम से दी गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा |
7. सफल निविदादाता को संघ का नाम मात्रिक सदस्य बनना अनिवार्य होगा, जिस हेतु`100/- पृथक से शुल्क के रूप में भुगतान करना अनिवार्य होगा |
8. जिलाधिकारी द्वारा संघ हेतु अनुमोदित क्रय केंद्र ही संघ द्वारा संचालित किये जायेंगे |

Page No. 04